

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1995 (वैत्र 13, 1917)

समय 10.58 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

- (1) श्री श्यामलाल बालमीक "परदेसी" भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (2) श्री हरिदेव जोशी, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्कर: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष का क्रमांक-1 (वाणिज्यिक) पटल पर रखेंगे.

- (2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

- (3) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

- (4) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगी.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

- (1) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, रतलाम जिले की जावरा मंडी द्वारा नियम विरुद्ध आदत वसूली की जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

- (2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर जिले में निजी दूध विक्रेताओं द्वारा भावों में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का इकत्तीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौतीसवां एवं पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

- (2) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

- (3) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का उन्तीसवां, तीसवां, इकत्तीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां एवं सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 10 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

- (2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 11 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(3) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 12 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 4 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशा: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 138 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

(1) प्रदेश में घूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह तथा सुकीर्ति जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि.

(2) प्रदेश की विभिन्न जैलों में अव्यवस्था से कैदियों की हो रही मृत्यु एवं उन्हें दी जा रही यातनाओं के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

श्रीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 2 अप्रैल, 1995

प्रश्न क्र. 1000

प्रश्न क्र. 1001

प्रश्न क्र. 1002

प्रश्न क्र. 1003

प्रश्न क्र. 1004

प्रश्न क्र. 1005

प्रश्न क्र. 1006

प्रश्न क्र. 1007

प्रश्न क्र. 1008

प्रश्न क्र. 1009

प्रश्न क्र. 1010

प्रश्न क्र. 1011